# न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

**अपील संख्याः–69/16 (RCMS No.2016/00001) (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)**

1. हसन
2. आजम
3. दीनू पुत्र सलेखॉ
4. मुवीन पुत्र नक्कू
5. नक्कू पुत्र रूस्तम
6. रहीम खॉ उर्फ झूझू पुत्र चाव खॉ

जाति मेव निवासी थलचाना तहसील पहाडी जिला भरतपुर

.....अपीलान्टान

**बनाम**

1. मु0 टुण्डो कथित पुत्री छीतर पत्नि बुद्धसिंह जाति मेव निवासी थलचाना तहसील पहाडी जिला भरतपुर
2. मुक्ती कथित पुत्री छीतर पत्नि सुलेखान जाति मेव निवासी थलचाना तहसील पहाडी जिला भरतपुर
3. फजरी कथित पुत्री छीतर पत्नि वशीर जाति मेव निवासी झेझपुरी तहसील कामां जिला भरतपुर
4. हसन पुत्र इस्माइल
5. जैतूनी पुत्री इस्माइल
6. जमीला पुत्री इस्माइल

वारिस मृतक घूपा कथित पुत्री छीतर जाति मेव निवासी झेझपुरी तहसील कामां जिला भरतपुर

7. जन्ना पुत्री इस्माइल
8. आसीन
9. दराज
10. राजखां
11. इमामखां

पुत्रान ईशव

वारिस रूपी कथत पुत्री छीतर अकवाम मेव निवासी झेझपुरी तहसील कामां जिला भरतपुर

12. शौकत
13. मकसूद
14. रजाक
15. आसीनी

पुत्री ईशव

16. मकसूद

.....असल रैस्पोडैन्टस

17. मैमूनी पत्नि सददीक
18. हसन पुत्नि धूपो पुत्री सददीक
19. बस्सा पत्नि नशीर पुत्री सददीक
20. वस्सी पत्नि ईशाक पुत्री सददीक

जाति मेव निवासी झिरका फिरोजपुर तहसील झिरका फिरोजपुर जिला नूह (हरियाणा)

21. हसीना पत्नि खुशीरखॉ पुत्री सददीक जाति मेव निवासी झीमरावर तहसील झिरका फिरोजपुर जिला नूहूं (हरियाणा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22. गपूरी पुत्री सुलतान
23. अब्दुल रहमान पुत्र उम्मेद
24. उस्मा पुत्री सुलेमान उर्फ सुवानखॉ
25. रिजवान पुत्र सुलेमान उर्फ सुवान खां

जाति मेव नवासी थलचाना तहसील पहाडी जिला भरतपुर

26. इमरान
27. अरमान
28. इरफान

पुत्रान सुलेखान नावालिगान जरिये विधिक संरक्षक श्री राजेश गुप्ता एडवोकेट कोर्ट आहता डीग

29. ग्राम पंचायत कठोल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कठोल जिला भरतपुर

**.....तरतीवी रैस्पो0**

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, डीग
दिनांक 12.08.2016

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह वकील अपीलान्टान
2. श्री सौनीराम शर्मा वकील रैस्पो0 सं0 1
3. श्री साहब सिंह चौधरी वकील रैस्पो0 सं0 1 लगा. 16
4. श्री हनुमान गोयल वकील रैस्पो0 सं.1

**नि र्ण यदिनांकः— 17.10.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, डीग के निर्णय दिनांक 12.08.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं किछीतर पुत्र वक्शी मेव के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 351 ग्राम पंचायत कठोल द्वारा दिनांक 20.09.66 को अपीलान्टान व तरतीवी रैस्पो0 तथा उनके पूर्वजों के नाम दर्ज किया गया था। इस नामा0 आदेश के विरूद्व छीतर की लड़की मु0 टुण्डो ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी से हसन वगैरहा का कोई संबंध नही है किन्तु गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को रहन वय करने की धमकी दे रहे है। अतः उन्हें पाबन्द किया जावे। मृतक छीतर के कोई लड़का नही था। छीतर ने अपनी पुत्रियों की शादी कर दी थी। छीतर की पत्नि पूर्व में ही फौत हो चुकी थी। टुन्डो छीतर की सबसे बडी पुत्री थी जो ग्रामअकाता में व्याही थी। छीतर के कोई लड़का नही होने की स्थिति में आराजी की काश्त करने व सेवा सुश्रुवा के लिये ग्रामअकाता से अपने गांव थलचाना में टुन्डो को अपने घर पर रख लियाथा। तभी से टुन्डो ही आराजी को काश्त कर रही है। मृतक छीतर की पुत्री घूपा व रूपी के फौत होने पर उनके वारिसान काबिज काश्त है। छीतर की मृत्यु के बाद विरासत का नामा0 सुल्तान, सुलेखा, अब्दुल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रहमान, नसीब खां, चावखां, सुबान खां आदि ने अपने नाम दर्ज करा लिया था, जो अवैध व गैर कानूनी व शून्य है। अपीलान्ट को नामा. की जानकारी नकल जमाबन्दी लेने पर 09.03.2005 को हुई थी। नामा0 में सजरा गलत दर्शाया है। ग्रामपंचायत ने मृतक छीतर के वारिसान को कोई नोटिस नही दिया। नामा0 गलत है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्तकिया जावे। अपीलान्ट/रैस्पो0 के नामदाखिल खारिज दर्ज किया जावे।अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/अपीलान्ट ने जबाब पेश किया तथा अपील के तथ्यों को अस्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि छीतर का लाऔलाद व बिलाऔरत होना कुछ भी नही दर्शाया है, कोई औलाद होना व नही होना अंकित नहीकिया है, न ही नामा0 तस्दीक से पूर्व छीतर के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 351 वॉके ग्राम थलचाना निर्णय दिनांक 20.09.66 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करदिया कि मृतक छीतर के वारिसान की विधिवत् सही जांच कर नामा0 का पुनः निस्तारण करें। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में 44 वर्ष बाद अपील पेश की थी। रैस्पो0 ने देरीना का कोई समुचित कारण नही बताया है। उनका तर्क है कि सजरा के अनुसार छीतर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि व कोई लड़का उसका वारिस नही था। रैस्पो0 ने मृतक छीतर की पुत्रियां होने का कोई विश्वसनीय दस्तावेज पेश नही किया है। फिर भी न्यायालय ने रैस्पो0 के हक में निर्णय पारित कियाहै। उनका तर्क है कि अपील मियाद बाहर है। मियाद के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने यह तय किया है कि ''धमकी देने पर यह अपील विनाय मुखास्मत दिनांक 09.03.05 व 10.03.05 को नकल लेने पर, जानकारी होने पर पेश करना वर्णित किया है। जबकि अपील के मद सं0 5 में अंकित किया है कि अपीलान्ट आराजी मुत0 के हिस्सा 1/5 का अपने मृतक पिता छीतर के समय से ही ग्राम थलचाना में रहकर काश्त करती चली आ रही है और आज भी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्तकार है। इस प्रकार अपीलान्ट के उक्त दोनों कथनों में विरोधाभाष है।'' रैस्पो0 ने मियाद बिन्दु पर दो कथन प्रकट किये है जो विरोधाभाषी है तथा रैस्पो0 का यह कथन अविश्वसनीय प्रतीत होताहै कि छीतर की मृत्यु के बाद प्रश्नगत नामा0 के खोलने की जानकारी रैस्पो0 को नही हुई हो। इस चालीस वर्ष की अवधि में रैस्पो0 ने राजस्व लगान अदा न करना यह दर्शाता है कि रैस्पो0 को नामा0 की जानकारी रखती थी। इसलिये उन्होंने राजस्व लगान अदा करने की कोशिश नही की। अधीनस्थ न्यायालयने अपने निर्णय में यह स्पष्ट माना है कि अपील रैस्पो0 ने करीव 40 वर्ष बाद पेश की है। इसलिये देरीना को क्षमा करने का कोई समुचित कारण प्रतीत नही होता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वेरून मियाद अपील को संधारण योग्य मानते हुऐ अपीलाधीन आदेश पारित कियाहै। मियाद का बिन्दु अवैधानिक आदेशों पर भी लागू होता है। जैसाकि 1989 आरआरडी 500, 1991 आरआरडी 164, 1998 एआईआर 1998 (सुप्रीम कोर्ट) 2279 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि कोई अजनबी व्यक्ति द्वारा जो पक्षकार मुकदमा नही था, अपील पेश करने की इजाजत लिये बिना अपील पेश नही कर सकता है। जैसाकि 1993 आरआरडी 44 व 232 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उनका तर्क है कि मृतक छीतर के वारिसान के सजरे पर गौर नही करते हुऐ आदेश पारितकिया है। रैस्पो0 मृतक छीतर की पुत्रियां ही नही है तो उनको सुनने का अवसर दिये जाने का प्रश्न ही नही उठता है और न ही आदेश बैक आफ पार्टीज के सिद्धान्तसे प्रमाणित होताहै। अधीनस्थ न्ययालयने क्षेत्राधिकार से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बाहर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अन्दर मियाद नही माना है देरीना को क्षमा नही किया है तो ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश पारित किया जाना मूलभूत न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत रहता है। उनका तर्क है कि टुण्डो अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत में पक्षकार नही थी। इसलिये टुण्डो को धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने की इजाजत लेनी चाहिये थी। उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड किया है। क्या तहसीलदार वारिसों के संबंध में निर्णय कर सकता है? तहसीलदार वारिसान तय नही कर सकता है। राजस्व न्यायालय वारिसान को तय नही कर सकते। इसके लिये उन्हें सिविल न्यायालय में ही दावा पेश कर अनुतोष लेना होगा। विधिक वारिसान को तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय का है। अपने पक्ष के समर्थन में 2007 पार्ट–(1) आरआरडी 723, 2005 आरआरडी 85, 2008 (2) (सुप्रीम कोर्ट) 892 पेश की। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा नामा0 बहाल किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। ग्राम पंचायत ने बिना वारिसान की जॉच किये नामान्तरकरण तस्दीक किया है। जबकि ग्राम पंचायत को वारिसान की जॉच किया जाना आवश्यक था। मृतक छीतर की पॉच लड़कियां वारिस थी। ग्राम पंचायत ने उन्हें सुने बिना ही आदेश पारित किया है। छीतर पुत्र बक्सी के कोई लड़का पैदा नही हुआ था। मृतक छीतर ने अपनी पुत्रियों की शादी अपने जीवन काल में ही कर दी थी। टुन्डो छीतर की सबसे बड़ी पुत्री थी जो ग्राम अकाता में व्याही थी। छीतर के कोई लड़का नही होने की स्थिति में आराजी की काश्त करने व सेवा सुश्रुवा के लिये ग्राम अकाता से अपने गांव थलचाना में टुन्डो को अपने घर पर रख लिया था तभी से टुन्डो ही आराजी काश्त कर रही है। मृतक छीतर की पुत्री घूपा व रूपी के फौत होने पर उनके वारिसान काबिज काश्त है। छीतर की मृत्यु के बाद विरासत का नामा0 सुल्तान, सुलेखा, अब्दुल रहमान, नसीब खां, चावखां, सुबान खां, ने अपने नाम दर्ज करा लिया था, जो अवैध व गैर कानूनी व शून्य है। रैस्पो0 व उनके वारिसान उक्त आराजी को काश्त कर रही है। ग्राम पंचायत ने वारिसान को छोड़कर अन्य के नाम नामा0 तस्दीक किया है। नामा0 में छीतर का फौत होना दर्शाया है परन्तु उसके वारिसान के संबंध में कुछ भी अंकित नहीकियाहै। ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व रैस्पो0 को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया। ग्राम पंचायत का आदेश विधिसम्मत् नही है। ऐसे एवोनिसियो वोइड आदेशों के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दु गौण होता है। अपने पक्ष के समर्थन में 1989 आरआरडी 45 पेश की। उनका तर्क है कि मियाद के साथ मैरिट पर भी देखा जाना चाहिये। यदि मैरिट पर प्रकरण सही है तो अपील पेश करने हुऐ देरी को कण्डोन किया जाना चाहिये। अपने पक्ष के समर्थन में 2004 आरबीजे 170 पेश की। उन्होंने 1996 आरबीजे 11 उदृत करते हुऐ तर्क दिया कि मियाद के बिन्दु पर न्यायालय को लिबरल ब्यू लेना चाहिये ताकि पक्षकारों को न्याय मिल सके। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील दर्ज हो गयी, निर्णय भी हो गया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 96सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई बिन्दु नही उठाया है। इसलिये इस न्यायालय में इस बिन्दु को नही उठाया जा सकता है। अपने पक्ष के समर्थन में 2014 आरआरडी 629, 1995 आरआरडी 179 पेश की। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण विवादास्पद है।ऐसे प्रकरणों को तहसीलदार को सुनने का अधिकार है। तहसीलदार के विवादास्पद आदेश के विरूद्ध धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संभागीय आयुक्त को अपील सुनने का अधिकार है। रैस्पो0 मृतक छीतर की लड़कियां है तथा विधिक वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।नामान्तरकरण संख्या 351 ग्राम पंचायत कठोल द्वारा दिनांक 20.09.66 को मृतक छीतर की विरासत अपीलान्ट व उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया था। इस नामा0 आदेश के विरूद्ध छीतर की लड़की मु0 टुण्डो ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी से रैस्पो0 असल का कोई संबंध नही है किन्तु गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को रहन वय करने की धमकी दे रहे है। अतः उन्हें पाबन्द किया जावे। मृतक छीतर के कोई लड़का नही था। छीतर ने अपनी पुत्रियों की शादी कर दी थी। छीतर की पत्नि पूर्व में ही फौत हो चुकी थी। टुन्डो छीतर की सबसे बडी पुत्री थी जो ग्राम अकाता में व्याही थी। छीतर के कोई लड़का नही होने की स्थिति में आराजी की काश्त करने व सेवा सुश्रुवा के लिये ग्राम अकाता से अपने गांव थलचाना में टुन्डो को अपने घर पर रख लिया था तभी से टुन्डो ही आराजी काश्त कर रही है। मृतक छीतर की पुत्री घूपा व रूपी के फौत होने पर उनके वारिसान काबिज काश्त है। छीतर की मृत्यु के बाद विरासत का नामा0 सुल्तान, सुलेखा, अब्दुल रहमान, नसीब खां, चावखां, सुबान खां, ने अपने नाम दर्ज करा लिया था, जो अवैध व गैर कानूनी व शून्य है। अपीलान्ट को नामा. की जानकारी नकल जमाबन्दी लेने पर 09.03.2005 को हुई थी। नामा0 में सजरा गलत दर्शाया है। ग्राम पंचायत ने मृतक छीतर के वारिसान को कोई नोटिस नही दिया। नामा0 गलत है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त किया जावे। अपीलान्ट/रैस्पो0 के नाम दाखिल खारिज दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/अपीलान्ट ने जबाब पेश किया तथा अपील के तथ्यों को अस्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि छीतर का लाऔलाद व बिलाऔरत होना कुछ भी नही दर्शाया है कोई औलाद होना व नही होना अंकित नही किया है, न ही नामा0 तस्दीक से पूर्व छीतर के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 351 वॉके ग्राम थलचाना निर्णय दिनांक 20.09.66 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि मृतक छीतर के वारिसान की विधिवत सही जांच कर नामा0 का पुनः निस्तारण करें।

जहॉ तक अपील के मियादकाप्रश्न है इस संबंध में विद्धान वकील रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत रूलिंग1989 आरआरडी 45, 2004 आबीजे 170 एवं 1996 आरबीजे 11 का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से जाहिर है कि यदि मैरिट पर प्रकरण सही है तो ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दु गौण होता है। अपील पेश करने हुऐ देरी को कण्डोन किया जाना चाहिये तथा मियाद के बिन्दु पर न्यायालय को लिबरल ब्यू लेना चाहिये। जहॉ निर्णय एविनिसियो वोइड है, वहॉ अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना चाहिये।अब यहॉ देखना है कि क्या नामा0 आदेश वोइड आदेश की परिभाषा में आता है। हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों के तर्कों पर मनन किया।यह तथ्य सामने आया है कि मृतक छीतर की पॉच लड़कियांहै, जो यह कहकर आयी है कि वे मृतक छीतर की वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 दर्ज करते समय न तो वारिसान की जॉच की और न ही वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक के वारिसान के संबंध में बिना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जॉच किये अन्य के नाम नामा0तस्दीक कियाहै। ग्राम पंचायत ने नामा0 पर छीतर का लाबल्द बिना औरत या कोई लड़का या लड़की नही होना अंकित नही किया है। ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान की जॉच किये बिना ही आदेश पारित किया है, जो वोइड आदेश है और ऐसे वोइड आदेशों के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है। ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील पेश करने के लिये कोई मियाद नही है।

जहॉ तक अपीलान्ट का यह तर्क है कि धारा 96 सीपीसी के तहत रैस्पो0 ने न्यायालय से इजाजत नही ली है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने 2014 आरबीजे (21) 629 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहॉ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया हो और प्रकरण का निस्तारण मैरिट पर हो गया हो वहॉ यह माना जायेगा कि अपील पेश करने की स्वीकृति दे दी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह तर्क उचित नही है कि रैस्पो0 ने धारा 96 सीपीसी के तहत इजाजत नही ली है।

जहॉ तक रैस्पो0 का मृतक छीतर के वारिस होने के प्रश्न है। रैस्पो0 मृतक छीतर की वारिस बनकर आयी है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील में सजरा पेश किया है उसके अनुसार मृतक छीतर की पॉच पुत्रियॉ टुण्डो, धूपा, रूपी, मुक्ती व फजरी बतायी हैं। जिनमें से धूपा को मृतक बताया है तथा रूपी को भी मृतक बताया है। इन दोनों के वारिसान को भी सजरा में दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वारिसान के संबंध में एक नया बिन्दु सामने आया था। जिसकी जॉच कराया जाना आवश्यक है। इसीलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को जॉच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं। उनके निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप कियाजाना उचित नही समझते हैं। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार परअपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय कानिर्णय दिनांक 12.08.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर